

88

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

करण संख्या:-147 / 2022

स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001
--- प्रार्थी बैंक

बनाम

1. गिरवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह, उम्र 42 साल,
2. सुनीता कंवर पत्नि गिरवर सिंह, उम्र 42 साल
समस्त जातियान राजपूत, निवासीगण मौहल्ला रतन्याण, वि0पो0 बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू 333502
3. क्यूम खान पुत्र अब्दुल रज्जाक, उम्र 38 साल, निवासी वार्ड नं0 3, वि0पो0 बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा- प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. अप्रार्थी सं0 1 व 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 03.08.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष मे उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 8,00,000/-रुपये अक्षरे आठ लाख रुपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060100184069 दिनांक 07.08.2016 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है-- अचल संपत्ति प्रोपर्टी पट्टा नं0 34 एट बुहाना, पंचायत समिति एवं तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू नपति 1890 वर्गफीट अप्रार्थी गिरवर सिंह के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है--

- पूरब में - आम रास्ता व चौक
- पश्चिम में - हनुमान सिंह व रामजीलाल
- उत्तर में - भंवर सिंह राजपूत
- दक्षिण में - आम रास्ता गली



अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 25.11.2020 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 18.11.2021 द्वारा अं0 धारा 13(2) वित्तीय

Handwritten signature

स्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 3,34,007 /रूपये अक्षरे तीन लाख चौतीस हजार सात रुपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक 10.11.2021 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति नदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी पट्टा नं0 34 एट बुहाना, पंचायत समिति एवं तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति 1890 वर्गफीट अप्रार्थी गिरवर सिंह के मालिकाना हक की है एवं इसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

- ख में — आम रास्ता व चौक
- पश्चिम में — हनुमान सिंह व रामजीलाल
- उत्तर में — भंवर सिंह राजपूत
- दक्षिण में — आम रास्ता गली


उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।


पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर


जिला कलेक्टर झुंझुनूं

96

अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड कन्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति प्रार्थी गिरवर सिंह के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी पट्टा नं० 34 एट बुहाना, चायत समिति एवं तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपति 1890 वर्गफीट का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ भिजवा दी जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं